भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1113**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**मध्‍याह्न भोजन तैयार करने के लिए गैस स्‍टोव और सिलेंडर**

**1113. डॉ0 आर. लक्ष्‍मणन**:

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या सरकार को जानकारी है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में चूल्‍हों का उपयोग कर मध्‍याह्न भोजन का पोषक आहार तैयार किए जाने के इस काम में लगे व्‍यक्‍तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्‍या सरकार ऐसे व्‍यक्‍तियों की समस्‍या का निराकरण करने के लिए गैस स्‍टोव तथा गैस सिलेंडर उपलब्‍ध करवाएगी ताकि उनके स्‍वास्‍थ्‍य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) : सुदृढ़ीकृत तथा पुनर्गठित समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्‍कीम, के अंतर्गत कनेक्‍शन के साथ गैस-बर्नर, बर्तनों, चटाई / कालीन और अन्‍य अनिवार्य उपकरणों पर क्रमश: आंगनवाड़ी केंद्रों / लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रत्‍येक 5 वर्ष में 7000/- रुपये तथा 5000/- रुपये के व्‍यय का प्रावधान किया गया है।

\*\*\*\*\*